न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा,आर.ए.एस
राजस्व प्रा.पत्र संख्या : 25/14

प्रार्थी :–
1--सरकार जरिए तहसीलदार रियांबड़ी
(भूमिधारी)

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1--चौथाराम पुत्र पूसाराम (फौत) के का.मु.
1/1–लालीदेवी पत्नि चौथाराम
1/2–मुकेश पुत्र चौथाराम
1/3–राकेश पुत्र चौथाराम
1/4–ममता उर्फ रीतु पुत्री चौथाराम
2--ओमप्रकाश पुत्र पूसाराम (फौत) के का.मु.
2/1–गटुदेवी पत्नि ओमप्रकाश
2/2–भूपेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश
2/3–बन्टी पुत्र ओमप्रकाश
3--कालूराम पुत्र नोरतराम
4--पप्पू पुत्र नोरतराम
5--चांदादेवी पत्नि नोरतराम
सभी जातियान ब्राहमण निवासीगण रोहिसा
6--मैनेजर जेएनएजी बैंक शाखा रियांबडी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांकः–19.2.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमिधारी तहसीलदार रियांबड़ी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नानुसार पेश है।

1--यह है कि ग्राम रोहिसा के खसरा नंबर 233 रकबा 8.87 हैक्टर किस्म चारागाह भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 जाति ब्राहमण निवासी रोहिसा की खातेदारी की दर्ज है।

2--यह है कि दिनांक 01.12.20014 को सर्वे टीम द्वारा जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक रोहिसा/पटवारी हलका रोहिसा के द्वारा सर्वे/आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर मौके पर अप्रार्थीगणो द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 233 रकबा 8.87 हैक्टर पर अवैध बजरी खनन करता हुआ पाया गया,जिसका मौका पर्चा इस प्रार्थना पत्र के संलग्न है। जो इस प्रार्थना पत्र का हिस्सा है।

3–यह है कि बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की वैध अनुमति एंव स्वीकृति के खातेदारी कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अवैध खनन कर कृषि भूमि को नुकशान पहुंचाकर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्था किया गया है। जिससे कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट हो चूका है।

4–राजस्थान सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में अवैध खनन करना तथा कृषि भूमि को क्षति पहुंचाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का खुला उल्लंघन है।

2018

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1977 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त धारा का उल्लंघन करने के कारण उनकी खातेदारी भूमि ग्राम रोहिसा खसरा नंबर 233 रकबा 8.87 हेक्टर जो प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा टैस व मौका पर्चा के अनुसार दर्शायी गई है से अप्रार्थीगण खातेदार/खातेदारो को उक्त भूमि से बेदखल किये जाने की डिकी/आदेश सादर फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को जरिए नोटिस के जबाब तलब किया गया। अप्रार्थीगणो की ओर से वकील राजेन्द्र गौड़ ने वकालतनामा पेश किया गया। वकील अप्रार्थीगण ने अपने समर्थन में गवाहान पेश किये गये तथा भूमिधारी ने भी पटवारी हलका व भूअनि को गवाह के रूप में पेश किया गया।

पटवारी हलका ने अपने बयानो में बताया कि मौका पर्चा मेरे द्वारा बनाया गया है जिसमें गांव वालो के हस्ताक्षर है। खसरा संख्या ग्राम के उत्तर में है। मौका देखा गया तब खनन कार्य बंद था। मौके पर कोई संसाधन नहीं मिले। मौके पर कोई फसल बोई हुई नहीं थी। प्रथम मौका मेरे द्वारा देखा गया तथा दूसरा मौका आर.आई साहब के साथ देखा गया। तब खनन कार्य बंद था।

भूअनि रोहिसा ने बताया कि प्रथम रिपोर्ट पटवारी ने बनाई क्योंकि मेरा पदस्थापन्न रोहिसा नहीं था। ग्राम रोहिसा से लगभग 300 मीटर दूरी पर खसरा नंबर 233 की पश्चिमी माल के सहारे सहारे खनन किया गया था। खसरा नंबर ग्राम की दक्षिणी दिशा की ओर है। खेत की पैमाईश भी की गई थी। अवैध खनन कहां पर किया गया राजस्व नक्शे में डोटेड किया गया है। अवैध खनन की लंबाई,चौड़ाई व गहराई कितनी थी मुझे पता नहीं है। ना ही मैने मौका रिपोर्ट में अंकन किया है। खेत पहले समतल था परंतु अवैध खनन से उबड़–खाबड़ हो गया है। अवैध खनन का ईन्द्राज गिरदावरी में नहीं होता है। मौका रिपोट पर स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं होते है। मौके पर कोई टेक्टर,जेसीबी तथा अन्य कोई संसाधन वहां पर मौजूद नहीं थे।

अप्रार्थीगणो की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जबाब में बताया कि खसरा नंबर 233 रकबा 8.87 हैक्टर रोहिसा में स्थित है पर उनकी किस्म चारागाह नही है बल्कि काबिज काश्त है और कभी भी चाही भी रही है। भूमिधारी ने मृत खातेदारो को पक्षकार बनाया गया है। जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारीज के है। दिनांक 1.2.2014 को पटवारी व भूअनि ने सर्वे टीम के साथ निरीक्षण नहीं किया गया। अप्रार्थीगणो की मौजूदगी पर निरीक्षण नहीं किया गया। उक्त खसरा में अवैध खनन नहीं किया गया है। मौका पर्चा बनावटी पेश किया गया है। अप्रार्थीगणो द्वारा कृषि भूमि के संरक्षण के लिए वर्षा जल को इकटठा करने के लिए गढा बनाया गया था। कृषि भूमि को जोत के काबिल बनाने हेतू समतल किया गया जिससे गढे हो गये थे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज होने से खारीज किया जावें।

वकील अप्रार्थीगणो ने अपने समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये। शपथकर्ताओ ने बताया कि पटवारी हलका द्वारा पटवार घर में बुलाकर खाली पेपर पर हस्ताक्षर करवाये गये। और कहा कि टांका निर्माण हेतू हस्ताक्षर करवा रही हूँ। हम कभी भी खसरा नंबर 233 पर गये और ना ही हस्ताक्षर किये गये।

भूमिधारी व वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोट पटवारी हलका व पटवारी हलका व भूअनि संयुक्त रिपोर्ट,जबाब,साक्ष्य प्रार्थी व साक्ष्य अप्रार्थीगण एंव जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित है कि मौजा रोहिसा के खेत खसरा नंबर 233 रकबा 8.87 हैक्टर का पटवारी हलका द्वारा मौका देखा गया। मौके पर अवैध खनन होना पाया गया। पटवारी हलका ने खसरा नंबर 233 रकबा 8.87 हैक्टर में खनन जरूर पाया गया पर किस तरफ कितना खनन पाया गया। लंबाई,चौड़ाई,गहराई का अंकन अपनी मौका रिपोर्ट में नहीं लिखा गया। पुनः अवैध खनन के संबंध में रिपोर्ट चाहे जाने पर पटवारी हलका व भूअनि

रोहिसा द्वारा संयुक्त रूप से मौका देखा गया। भूअनि ने भी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए गोल माल रिपोर्ट पेश की गई। केवल पश्चिमी माठ के सहारे 1.00 हैक्टर में पूर्व का खनन कार्य किया हुआ बताया। वर्तमान में खनन कार्य बंद है। शेष भाग कृषि कार्य में उपयोग में लिया जा रहा है। पटवारी हलका व भूअनि ने केवल खनन पाया गया बताया है जबकि पूर्ण मौका जांच करके अवैध खनन का आंकलन करना चाहिए था मगर उन्होने ने ऐसा नहीं किया गया।

खसरा गिरदावरी में अवैध खनन का अंकन नहीं किया जाता है। केवल काश्त का ही अंकन किया जाता है। खसरा नंबर 233 का रकबा 8.87 हैक्टर है जिसमें रकबा 6.87 हैक्टर में काश्त दर्ज है। जिससे जाहिर है कि2.00 हैक्टर में अवैध खनन किया गया है। मगर उक्त खसरे के किसी विशेष भू भाग की खातेदारी सिवायचक घोषित नहीं की जा सकती है।

अतः समस्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा मौजा रोहिसा के खसरा नंबर 233 रकबा 8.87 हैक्टर में से 2.00 हैक्टर भूमि पश्चिमी माठ के सहारे सहारे की भूमि की खातेदारी निरस्त की जाती है तथा 2.00 हैक्टर भूमि को सिवायचक घोषित की जाती है। खसरा नंबर 233 रकबा 8.87 हैक्टर में से 2.00 हैक्टर में किये गये अवैध खनन की लंबाई,चौड़ाई,गहराई का आंकलन कर राजस्व अधिनियम के तहत नियमानुसार पैनल्टी राशि कायम कर वसूली कार्यवाही की जावे।

तहसीलदार रियांबड़ी मोजा रोहिसा के खसरा नंबर 233 रकबा 8.87 हैक्टर में से 2.00 हैक्टर भूमि को राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज कर राजहक में ली जावें तथा सहायक अभियंता खनिज विभाग गौटन से सम्पर्क कर अवैध खनन का आंकलन कर जुर्माना राशि नियमानुसार तय कर वसूली कार्यवाही करें। पालना से अवगत करावें। तहरीरें जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को बइजलास खुले में सुनाया गया।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी